न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या 14 बुलन्दशहर ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3039/2026

नीरज शर्मा पुत्र गजेन्द्र शर्मा, निवासी ग्राम धनीपुर, थाना गांधी पार्क, जिला अलीगढ़।

.....अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मु0अ0संख्या–118/2026
धारा–303(2),317(2)बी.एन.एस.,
धारा–136 विद्युत अधिनियम
थाना–खुर्जा देहात,जिला बुलन्दशहर

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **नीरज शर्मा** की ओर से उपरोक्त अभियोग में मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक (विद्युत विभाग) को सुना।

3. अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त ने किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं की है, उसे उक्त मुकदमा में बेवजह झूँठा रंजिशन फॅसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त घटनास्थल पर मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ है। आवेदक/अभियुक्त पर अभियोजनपक्ष द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर डॉग कन्सेटर तार चोरी करना बताया गया, जो कि गलत व बेबुनियाद है। आवेदक/अभियुक्त से किसी भी प्रकार का डॉग कन्सेटर तार बरामद नहीं हुआ है,जो भी बरामदगी दर्शायी गयी है, वह फर्जी प्लान्ट की गयी है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मुकदमा के अलावा मु0अ0सं0 174/2026, अन्तर्गत धारा–303(2),112 बी.एन.एस. व धारा–136 ई.सी.एक्ट व धारा–4/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहांगीराबाद,मु0अ0सं0 49/2026, अन्तर्गत धारा–305,331(4) बी.एन.एस. व धारा–136(1)(ए) ई.सी.एक्ट, थाना खुर्जा देहात तथा मु0अ0सं0 771/2020, धारा–136,137 ई.सी.एक्ट, मु0अ0सं0 779/ 2026, धारा–136, 137 ई.सी.एक्ट व मु0अ0स0 725/2026, धारा– 136,137 ई.सी.एक्ट, थाना एण्टी पावर थेफ्ट भी पंजीकृत हैं। उक्त सभी मुकदमा फर्जी तरीके से एक ही दिन प्लान्ट करके लगाये गये हैं। घटना के बावत पब्लिक का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है। उक्त मुकदमें आवेदक/अभियुक्त का रिमाण्ड दिनांक 14.05.2026 को स्वीकृत कर जिला कारागार, बुलन्दशहर भेजा गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 14.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। आवेदक/अभियुक्त अपनी

Digitally signed by CHANDRA VIJAY SRINET
Date: 2026.06.06 15:02:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमानत देने को तैयार है। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. विशेष लोक अभियोजक(विद्युत विभाग) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर 33केवीए लाईन के 12 खम्भों के तारों की चोरी की है और अभियुक्त के पास से चोरी गया तार बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों का मय केस डायरी अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा नरेश सिंह ने दिनांक 05.05.2026 को थाना खुर्जा देहात, बुलन्दशहर पर इस आशय की तहरीर दी कि प्रार्थी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत सालासर इ0 कम्पनी में ठेकेदार के रूप में कार्य कर रहा है। धरपा बिजली घर से कालंदी कुंज खुरजा के लिए 33केवीए लाईन बनायी गयी है। कुछ समय पूर्व लखावटी साईनाथ मन्दिर के बम्बे के बराबर से 12 खम्बे का Dog concetor तार अज्ञात चोरों ने काट कर चोरी कर लिया है। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध धारा–303(2) बी.एन.एस. में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित हुई।

7. अभियोजन के अनुसार दौरान विवेचना दिनांक 13.05.2026 को पुलिस पार्टी द्वारा चैकिंग के दौरान आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण अरमान अली, सन्तोष, दीपक व कुलदीप मय वाहन स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 सं0 एच.आर. 55एजी 7559 एवं कार यू0पी0 81 एफ.टी 3227 के साथ पकड़े गये हैं, जिनकी पास से संयुक्त रूप से चोरी का एल्यूमिनियम एवं कॉपर तार बरामद हुआ है।

8. फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष की गयी जुर्म संस्वीकृति के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त नामजद एफ0आई0 आर0 नहीं हैं। तथाकथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नहीं है। सह अभियुक्तगण संतोष व दीपक की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त का कोई विशिष्ट रौल दर्शित नहीं है। अभियुक्त दिनांक 14.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त नीरज शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अंकन–50,000/रू0 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(चन्द्र विजय श्रीनेत)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं014,बुलन्दशहर।
JO Code UP 6277

दिनाँक–06.06.2026

स्टैनो–सुन्दर सिंह